उत्तरांचल शासन

न्याय विभाग

अधिसूचना

प्रकीर्ण

13 जुलाई, 2006 ई०

संख्या–639/XXXVI(1)2006–8–एक(5)/06–विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39, वर्ष 1987) की धारा 28 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और मुख्य न्यायमूर्ति, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श से राज्यपाल इस विषय में विद्यमान नियमावली का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

(1) यह नियमावली उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

2. परिभाषायें –

जब तक सन्दर्भ मे अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39 वर्ष 1987) से है,

(ख) "मुख्य न्यायाधीश" का तात्पर्य उत्तरांचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से है,

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष अथवा यथास्थिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा यथास्थिति जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा यथास्थिति ताल्लुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष से है,

(घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है,

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है,

(च) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उत्तरांचल के उच्च न्यायालय से है,

(छ) "केन्द्रीय प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से है

(ज) "राज्य प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से है,

(झ) "जिला प्राधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से है,

(ञ) "उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से है,

(ट) "सचिव" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अथवा, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 8–क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव अथवा अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से है।

(ठ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है,

(ड) "ताल्लुका विधिक सेवा समिति" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 11–क के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा समिति से है,

(ढ) "तालुका" का तात्पर्य जिला अथवा तहसील के उप खण्ड से है,

(ण) "लोक अदालत" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 19 के अधीन गठित लोक अदालत से है,

(त) "स्थाई लोक अदालत" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 22–ख के अधीन गठित लोक अदालत से है,

(थ) इस नियमावली में प्रयुक्त अन्य समस्त शब्दों तथा पदों का, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, अर्थ क्रमशः वही होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

3. **राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हतायें–**

(1) राज्य प्राधिकरण में उसके मुख्य संरक्षक और कार्यकारी अध्यक्ष सहित सत्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) राज्य प्राधिकरण के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे, अर्थात्–

(i) महाधिवक्ता, उत्तरांचल,

(ii) प्रमुख सचिव, वित्त,

(iii) सचिव, न्याय,

(iv) प्रमुख सचिव, राजस्व,

(v) अध्यक्ष, उत्तरांचल राज्य विधिक परिषद (बार काउंसिल)

(vi) अध्यक्ष, उत्तरांचल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग।

(vii) उत्तरांचल राज्य के पुलिस महानिदेशक,

(viii) सचिव/निदेशक समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल,

(ix) जिला प्राधिकरण के दो अध्यक्ष जिन्हें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाए।

(3) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा इस नियम के उपनियम (4) मे विहित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले सदस्यों में से पॉच सदस्य नामित किये जा सकते हैं।

(4) राज्य प्राधिकरण का सदस्य नामित किये जाने के लिये वही व्यक्ति अर्ह होगा जो–

(क) प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हो और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण और शहरी मजदूरों सहित समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिये कार्य कर रहा है, अथवा

(ख) विधि अथवा शिक्षा के क्षेत्र का प्रख्यात व्यक्ति, अथवा

(ग) प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवा योजनाओं के कार्यान्वयन में विशेष रूचि रखता है।

4. **राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियां और कृत्य :–**

राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे–

(क) समाज के दुर्बल वर्गो सहित अधिनियम के अधीन पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान करना,

(ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विधिक सेवा योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रक्रिया तैयार करना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करना,

(ग) राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक गृह व्यवस्था (हाउस कीपिग), वित्त एवं बजट सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में शक्तियों का प्रयोग करना,

आनुषंगिक एवं आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु रू० 25,000/– की स्थायी अग्रिम धनराशि राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव के व्ययनाधीन रखी जायेगी। राज्य प्राधिकरण के विभिन्न कृत्यों के निर्वहन हेतु समस्त आवश्यक व्यय, जिनमें उसकी बैठकें आयोजित करने के लिये किया गया खर्च भी शामिल है, सदस्य सचिव की पूर्वानुमति से किया जायेगा।

परन्तु रू० 10,000/– से अधिक के व्यय के लिये कार्यकारी अध्यक्ष का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(घ) राज्य प्राधिकरण की सम्पत्तियों, अभिलेखों और निधियों का प्रबन्धन,

(ङ) राज्य प्राधिकरण के समुचित रूप से सही–सही लेखे रखना और उनकी नियतकालिक जांच और लेखा परीक्षा,

(च) राज्य प्राधिकरण का वार्षिक आय–व्यय लेखा तथा तुलन–पत्र तैयार करना,

(छ) सामाजिक कार्यकर्ताओं और जिला तथा ताल्लुका विधिक सेवा प्राधिकरणों से सम्पर्क बनाए रखना,

(ज) अद्यतन तथा पूर्ण सांख्यिकीय सूचना रखना, जिसमें समय–समय पर विभिन्न विधायी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति सम्बन्धी सूचना भी शामिल है,

(झ) वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई करना तथा उनके उपयोग प्रमाण–पत्र जारी करना,

(ञ) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विभिन्न विधायी सेवा कार्यक्रमों का आयोजन और उनसे सम्बन्धित बैठकों/संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का संयोजन तथा प्रतिवेदन तैयार करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना,

(ट) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विषय में जन साधारण की सूचनार्थ दृश्य–श्रव्य/वृत्तचित्र, प्रचार सामग्री, साहित्य और प्रकाशन, जिसमे नुक्कड़ नाटक भी शामिल है, तैयार करना,

(ठ) ग्रामीण विवादों के निराकरण पर अधिक बल देना तथा ग्रामीण विवादों को गांवों में ही निपटाने के लिए प्रभावी और सार्थक विधायी सेवाओं की योजनाएं बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय करना;

(ड) अधिनियम की धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन तैयार की गई योजनाओं के अन्तर्गत सौंपे गए कृत्यों का निष्पादन,

(ढ) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्यो का समन्वय तथा जिला और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य पर प्रभावी नियन्त्रण तथा अधिनियम के अधीन तैयार किए गए कार्यक्रमों और योजनाओं को चलाने के लिये उनका मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता प्रदान करना,

(ण) ऐसे अन्य कार्यो का निष्पादन जो राज्य प्राधिकरण के दक्षता पूर्वक कार्य करने के लिए समीचीन हों,

(त) ऐसी शक्ति का प्रयोग करना तथा ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन जो उसे कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं, तथा

(थ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन जो समय–समय पर केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा सौंपे जाएं,

(द) सदस्य सचिव को उन लम्बित मामलों के न्यायिक अभिलेख मांगने का भी अधिकार होगा जिन्हें अधिनियम की धारा 19 और 20 के अधीन गठित लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है। यदि किसी पक्ष द्वारा मुकदमा दायर करने से पहले समझौता करने और लोक अदालत द्वारा अपने मामले के निस्तारण हेतु राज्य प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विरोधी पक्षकार को नोटिस तामील करने तथा धारा 19 की उपधारा (5) के प्रस्तर (दो) के अधीन लोक अदालत के अधिकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत किसी विषय से सम्बन्धित अन्य अभिलेख मंगाने का भी अधिकारी होगा ताकि मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट किए जाने के लिए आधार तैयार किया जा सके, जिसमें प्रत्येक पक्ष का बयान लेना भी शामिल है।

5. कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति, सेवा शर्तें, शक्तियां तथा कृत्य

5.1 कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति तथा सेवा शर्तें

राज्य सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति के अनुसार उत्तरांचल उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। तथापि, ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पदावधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, उसकी अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाएं। लेकिन प्रत्येक अवस्था मे वह उसी वेतन और अनुलाभों का हकदार होगा जो उसे कार्यरत न्यायाधीश के रूप में अनुमन्य थे।

5.2 (क) कार्यकारी अध्यक्ष राज्य प्राधिकरण की ओर से अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपेक्षित समस्त निर्णय लेने के लिये सक्षम होगा।

(ख) वह ऐसे सभी निर्णय लेने के लिये सक्षम होगा जो उत्तरांचल राज्य में किसी न्यायालय में लम्बित मामले के विषय में, जिसमें मुकदमे से पहले की अवस्था वाले सभी मामले भी शामिल हैं, किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विधिक सहायता, विधिक परामर्श अथवा अन्य विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित हो।

(ग) वह उन मामलों के पुनर्विलोकन के लिए सक्षम होगा जिनमें जिला/तहसील प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवाए प्रदान करने से इन्कार कर दिया गया हो।

(घ) वह समस्त जिला/तहसील प्राधिकरणों के अध्यक्षों और सचिवों एवम् अन्य न्यायिक अधिकारियों के कार्य और उनके अपने–अपने जनपदों/तहसीलों में अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उनके योगदान की प्रविष्टिया उनकी वार्षिक गोपनीय रिर्पोट भी दर्ज करने तथा माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करने के लिए सक्षम होगा। वह ऐसे अधिकारियों के प्रोत्साहन के लिये उन्हें उचित मानदेय जैसे कि वह माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियत करें, को भी देने के लिये सक्षम होगा।

6. **राज्य प्राधिकरण के सदस्यों एवं सदस्य सचिव की पदावधि तथा नियुक्ति की अन्य शर्ते –**

(1) राज्य सरकार द्वारा नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामित राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी और ऐसे सदस्य पुनः नामांकित होने के पात्र होंगे।

(2) नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामित किसी सदस्य को सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से हटाया जा सकेगा, यदि वह–

(क) बिना पर्याप्त कारण के राज्य प्राधिकरण को लगातार तीन अथवा दो वर्ष के अन्तराल में हुई पांच बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है, या

(ख) निर्णीत दिवालिया है, या

(ग) वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोषी रहा हो, जिसमें राज्य प्राधिकरण के विचार से नैतिक अक्षमता शामिल है, या

(घ) शारीरिक अथवा मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है, या

(ड) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि उसका राज्य प्राधिकरण में बना रहना लोक हित के प्रतिकूल है, या

(च) राज्य प्राधिकरण की राय में उसका सदस्य बनाए रखना वांछनीय नहीं है।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी किसी भी सदस्य को राज्य प्राधिकरण द्वारा उक्त उपनियम के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट आधार पर हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मुख्य न्यायाधीश राज्य सरकार अथवा प्राधिकरण द्वारा उन्हें इस निमित्त निर्दिष्ट किए जाने पर उनके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच के पश्चात् संस्तुति करे कि सदस्य को इन कारणों से हटा दिया जाए।

(4) सदस्य, अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित कर राज्य प्राधिकरण से त्याग पत्र दे सकता है और ऐसा त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के दिनांक अथवा त्याग पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिन समाप्त होने पर, इनमें जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

(5) यदि नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामित किसी सदस्य की किसी कारण से राज्य प्राधिकरण की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो रिक्त उसी रीति से भरी जाएगी जैसे मूल रूप से मनोनयन द्वारा भरी गई थी और इस प्रकार नामित व्यक्ति पूर्ववर्ती सदस्य की शेष पदावधि के लिए सदस्य बना रहेगा।

(6) सभी सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य हेतु यात्रा करने पर नियमानुसार यात्रा भत्ते एवम् दैनिक भत्ते अंहरित करने के हकदार होंगें।

यदि सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो वह यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उन्हीं दरों से आहरित करने का हकदार होगा जिनके लिए वह उसको लागू सेवा नियमों के अधीन हकदार है और उस विभाग से आहरित करेगा जिसमें वह कार्य कर रहा है, न कि राज्य प्राधिकरण से।

सदस्य सचिव

(7) राज्य प्राधिकरण का सदस्य सचिव उच्चतर न्यायिक सेवा में संवर्ग के चयन वेतनमान में सेवारत सदस्य, पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और उसकी पदावधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं बढाया जा सकेगा।

(8) सेवानिवृत्ति आयु, वेतन और भत्ते, लाभ और अधिकारिताएं और अनुशासनिक मामले तथा अन्य सेवा शर्तो जैसे सभी मामलों में सदस्य सचिव उन नियमों द्वारा नियंत्रित होगा जो राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होते हैं और वह राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होगा। तथापि, उसे प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य होगा।

7. **राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी –**

(1) राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, जिसमें विशेष कार्याधिकारी शामिल हैं, वह होगी जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए।

(2) राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या जिसमें विशेष कार्याधिकारी शामिल हैं, जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न किए जाएं, परिशिष्ट 'क' के अनुसार होगी।

(3) राज्य प्राधिकरण को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षता पूर्वक निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा पद सृजित किए जाने पर प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति होगी। नियुक्तियां राज्य सरकार में ऐसी नियुक्तियों पर लागू नियमों और विनियमों के अनुसार की जाएंगी। तथापि राज्य प्राधिकरण के परामर्श से अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालयों या राज्य सरकार के अन्य विभागों से भी, यथा स्थिति, प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है। यदि अधिकारी और अन्य कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते हैं तो ऐसे कर्मचारी नियमानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ते के हकदार होंगे।

8. **राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन और भत्ते–**

(1) सदस्य सचिव एवम् विशेष कार्याधिकारी से भिन्न राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अवधारित किए जाएं।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट "क" में दिए गए हैं।

(3) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और लाभों के हकदार होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

(4) विशेष कार्याधिकारी उत्तरांचल न्यायिक सेवा के ऐसे व्यक्तियों में से मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से पांच वर्ष से अनाधिक के लिए नियुक्त किया जाएंगा, जो सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के स्तर से निम्न स्तर के नहीं होंगें।

(5) सेवानिवृत्त आयु, वेतन और भत्ते, लाभ और अधिकारिताओं, अनुशासनिक मामलों और अन्य सेवा शर्तो जैसे सभी मामलों में सदस्य सचिव एव विशेषकार्याधिकारी उन नियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो उस सेवा पर लागू होते हैं जिसके वे सदस्य है। सदस्य सचिव एव विशेषकार्याधिकारी राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होंगे। तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होगें।

(6) जब तक विशेषकार्याधिकारी से भिन्न, राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें और निबन्धन विहित न किए जाएं, अनुशासनिक मामलों, अवकाष, भविष्य निधि और अन्य विषयों सहित उनकी अर्हताएं, भर्ती प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तें सरकार में समान श्रेणी के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के समान होंगी और उनसे सम्बन्धित नियम आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

9. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

9.1 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की शक्ति एवं कृत्य

राज्य प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्

(क) केन्द्रीय और राज्य प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई और अपेक्षित विधिक सहायता, विधिक परामर्श तथा विधिक सेवाओं सम्बन्धी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं का प्रवर्तन इस समिति का कर्तव्य होगा।

(ख) यह उच्च न्यायालय के मामलों के लिए अधिनियम अथवा नियमों के अधीन पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता, विधिक परामर्श तथा विधिक सेवाएं प्रदान करेगी।

(ग) यह उच्च न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतों का आयोजन एवं संचालन करेगी।

(घ) यह वार्ता, मध्यस्थता और समझौते द्वारा मामलों को निपटाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

(ड) यह ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित किए जाएं।

9.2 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष

माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष होंगे।

9.3 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव की अर्हताएं, अनुभव और मानदेय

कोई व्यक्ति तब तक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह न होगा जब तक कि वह उत्तरांचल उच्चतर न्यायिक सेवा से सम्बन्धित उच्च न्यायालय के संयुक्त निबंधक से निम्नवार श्रेणी का अधिकारी न हों और उसे रू0 1,000/– प्रतिमाह अथवा ऐसी धनराशि का, जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से समिति के अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए, मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

9.4 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव की शक्ति एवं कृत्य

समिति का सचिव समिति का प्रमुख अधिकारी होगा, तथा

(क) समिति की परिसम्पत्तियों, लेखों, अभिलेखों तथा निधियों का अभिरक्षक होगा और अध्यक्ष के अधीक्षण एवं निर्देशन में कार्य करेगा।

(ख) समिति की प्राप्तियों तथा संवितरण लेखों को ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति से सही–सही और समुचित रूप से रखेगा या रखवाएगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(ग) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाएं, तथा

(घ) ऐसे सभी अन्य कार्य करेगा जो समिति के कृत्यों के दक्षतापूर्वक एवं समुचित निर्वहन और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए आवश्यक एवं समीचीन हों।

10. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें वेतन और भत्ते

(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या वह होंगी जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाएं।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश पारित न किए जाएं, परिशिष्ट "ख" में दी गयी है।

(3) इस नियमावली के प्रारम्भ होने से एकदम पहले उच्च न्यायालय विधिक सहायता एवं परामर्श समिति में कार्यरत सचिव से भिन्न समस्त अधिकारी और कर्मचारी इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और कर्मचारी होंगे।

(4) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किए जाए।

(5) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान परिशिष्ट "ख" के अनुसार होंगे।

(6) जब तक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्ते और निबन्धन विहित न किए जाएं, अनुशसनात्मक मामलों, अवकाश, भविष्य निधि और अन्य विषय सहित उनकी अर्हताएं, भर्ती प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्ते समान श्रेणी के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के समान होंगी और उनसे सम्बन्धित नियम आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(7) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और लाभों के हकदार होंगे, जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श सें समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

11. **जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या, अवधि, अनुभव एवं अर्हताएँ**

(1) जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे। इस क्षेत्र में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें मानदेय के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान किया जा सकेगा जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए तथा उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उत्तम/उत्कृष्ट प्रविष्टि भी की जाए।

(2) जिला प्राधिकरण में उप नियम (3) के अधीन नामित सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:–

(क) जिला अधिकारी

(ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक, यथास्थिति,

(ग) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

(घ) जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल)

(ड) जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध),

(च) जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व),

(छ) जिला बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष,

(3) सरकार, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उपनियम (4) में विर्निदिष्ट अनुभव एवं अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों में से जिला प्राधिकरण के छः अन्य सदस्यों को मनोनीत कर सकती है, जिनकी अवधि दो वर्ष होगी और वे पुनःनामांकित होने के पात्र होंगे।

(4) जिला प्राधिकरण का सदस्य नामित किये जाने के लिए वही व्यक्ति अर्ह होगा जो :–

(क) प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हो और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण और शहरी मजदूरों सहित समाज के दुर्बल वर्गो के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है।

(ख) विधि के क्षेत्र का प्रख्यात व्यक्ति, या

(ग) प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवाओं के कार्यान्वयन में विशेष रूचि रखता हो।

12. जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या

(1) सिविल जज, (सीनियर डिवीजन) अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सचिव होंगे और मानदेय के रूप में 500/रू0 प्रतिमाह अथवा ऐसी धनराशि का भुगतान किया जाएगा, जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा नियत की जाए।

(2) जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य सदस्यों की संख्या वह होगी जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए ।

(3) इस नियमावली के प्रारम्भ होने से एकदम पहले जिला विधिक सहायता एवं परामर्श समिति में कार्यरत समस्त अधिकारी और अन्य कर्मचारी इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर जिला प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी होंगे।

13. जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन और भत्ते

(1) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किए जाएं ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'ग' के अनुसार होंगे ।

(3) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं भत्तों और लाभों के हकदार होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं ।

(4) जब तक जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें और निबन्धन विहित न किए जाए, अनुशासनिक मामलों, अवकाश, भविष्य निधि और अन्य विषयों सहित उनकी अर्हताएं, भर्ती प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तें समान श्रेणी के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के समान होंगी और उनसे सम्बन्धित नियम आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

14. तहसील विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अवधि, अनुभव और अर्हताएं

(1) तहसील विधिक सेवा समिति में पांच से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) तहसील विधिक सेवा समिति में उपनियम (3) के अधीन नामित सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:–

(क) यदि किसी स्तर का ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी तहसील या उपखण्ड में तैनात है तो वह तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और ऐसे कनिष्ठतम अधिकारी सचिव के रूप मे कार्य करेंगा। यदि किसी तहसील में केवल एक न्यायिक अधिकारी कार्यरत हो तो तहसीलदार सचिव के रूप में कार्य करेंगा और सचिव को रू0 300/– प्रतिमाह की दर से अथवा ऐसी धनराशि जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जिला प्राधिकरण द्वारा नियत की जाए, का मानदेय के रूप में भुगतान किया जायेगा।

(ख) यदि उपखण्ड अधिकारी तहसील या उपखण्ड में तैनात है, या उसकी अनुपस्थिति में तहसील का तहसीलदार, यदि न्यायिक अधिकारी उपखण्ड में तैनात नहीं है, यथास्थिति, तहसील समिति के अध्यक्ष/सचिव के रूप में कार्य करेगा और उसे मानदेय की ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा जो किसी न्यायिक अधिकारी को अनुमन्य है।

(ग) तहसील की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत तैनात ज्येष्ठतम राजपत्रित पुलिस अधिकारी।

(3) सरकार, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अनुभव एवं अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों में से तहसील विधिक सेवा समिति के अन्य तीन सदस्य मनोनीत कर सकती है जिनकी अवधि दो वर्ष होगी और वे पुनःनामांकित होने के पात्र होंगे।

(4) तहसील विधिक सेवा समिति का सदस्य नामित किए जाने के लिए वही व्यक्ति अर्ह होगा जो,

(क) सम्बन्धित तहसील की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत रहने वाला स्थायी निवासी प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हो और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण और शहरी मजदूरों सहित समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है ।

(ख) विधि क्षेत्र का प्रख्यात व्यक्ति, अथवा

(ग) प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवा योजनाओं में विशेष रूचि रखता हो ।

15. तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या

(1) तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या वह होगी जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए ।

(2) तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किए जाएं ।

(3) तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और लाभों के हकदार होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किए जाएं ।

(4) जब तक तहसील विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्ते और निबन्धक विहित न किए जाएं, अनुशासनिक मामलों, अवकश, भविष्य निधि और अन्य विषयों सहित उनकी अर्हताएं, भर्ती प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्ते समान श्रेणी के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के समान होंगी और उनसे सम्बन्धित नियम आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगें।

16. निःशुल्क विधिक सेवा के लिए हक व पात्रता

प्रत्येक व्यक्ति, जिनसे कोई मामला फाइल करना है या फाइल कर दिया गया है या किसी मामले में बचाव करना है, इस अधिनियम के अधीन, राज्य प्राधिकरण या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण या ताल्लुक प्राधिकरण से जैसे भी केस हो, निःशुल्क विधिक सेवा का हकदार होंगा, यदि ऐसे व्यक्ति

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक,

(2) संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,

(3) सभी महिलायें एंव बच्चे,

(4) सभी विकलांग एंव मानसिक रुप से अस्वस्थ व्यक्ति,

(5) बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़ एंव भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसी दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,

(6) औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,

(7) जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एंव मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति,

(8) ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 50,000/– रुपये से कम हो,

(9) भूतपूर्व सैनिक,

नोटः–क्रम संख्या–1 से 7 व 9 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नही है।

17. लोक अदालतें, समझौता केन्द्र और विधिक साक्षरता शिविर

17.1 धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं लोक अदालत की खण्डपीठ में शामिल किए जाने के लिए वही व्यक्ति अर्ह होगा जोः–

(क) प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता हो और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण और शहरी मजदूरों सहित समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा हो, अथवा।

(ख) ख्याति प्राप्त वकील हो, अथवा।

(ग) प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवा योजनाओं और कार्यक्रमों में विशेष रूचि रखता है।

17.2 **उच्च न्यायालय में लोक अदालत, साक्षरता शिविर और समझौता केन्द्र**

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जब भी आवश्यक हो लोक अदालतों की खण्डपीठ गठित करेगा । प्रत्येक खण्डपीठ में निम्नलिखित में से कोई दो या तीन सदस्य होंगे, अर्थात्

(एक) उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कोई अन्य सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जो जिला न्यायाधीश के पद से निम्न पद पर न हो,

(दो) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सदस्य सचिव/सचिव,

(तीन) विधि व्यवसाय का सदस्य जिसे 10 वर्ष से कम का अनुभव न हो।

(चार) प्रतिष्ठित स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है।

17.3 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष अधिनियम के अधीन निर्धारित मानदण्ड पूरा करने वाले व्यक्ति को विधिक सेवाएं प्रदान करने तथा विनिश्चय हेतु उच्च न्यायालय का निर्दिष्ट किए जाने के लिए मामलों की जांच करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय में एक समझौता केन्द्र का भी गठन करेगा। सचिव समझौता केन्द्र का प्रधान, होगा और उसमें निम्नलिखित दो सदस्य होंगे, अर्थात्,

(एक) विधि व्यवसाय का सदस्य जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो,

(दो) प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा हो।

17.4 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य में ऐसे स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का भी आयोजन कर सकता है जो अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उचित एवं आवश्यक समझे जाएं।

17.5 लोक अदालत के आयोजन के लिए किया गया व्यय 10,000/रू0 या ऐसी अन्य राशि से अधिक नहीं होगा जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए। साक्षरता शिविर के आयोजन के लिए किया गया व्यय 15,000/रू0 या ऐसी अन्य राशि से अधिक नहीं होगा जो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए ।

17.6 **जिला प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत, समझौता केन्द्र और साक्षरता केन्द्रों का आयोजन-**

पारम्पारिक लोक अदालतों के अतिरिक्त जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अपने जिले में जिला मुख्यालय अथवा किसी तहसील में महीने में कम से कम एक लोक अदालत और एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा । तथापि ऐसी लोक अदालत को निर्दिष्ट मामलों की संख्या के अनुसार महीने के किसी शनिवार या रविवार को ऐसी लोक अदालत का आयोजन किया जा सकता है। एक बार मामला ऐसी अदालत को निर्दिष्ट किए जाने के बाद सौहार्दपूर्ण समाधान होने तक अथवा ऐसे समय तक जब यह अनुभव किया जाए कि कोई सौहार्दपूर्ण समाधान संभव नहीं है और मामले को विधि के अनुसार निर्णय के लिए सम्बन्धित न्यायालय को वापस भेजना पड़ेगा, मामला अगली लोक अदालत तक स्थगित किया जा सकता है। ऐसी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी को मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा नियत धनराशि का मानदेय के रूप में भुगतान किया जा सकता है, तथापि अधिकारियों को लोक अदालत और साक्षरता शिविरों के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में समुचित प्रविष्टियों जैसे अन्य प्रोत्साहन द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। ऐसी लोक अदालतों को निर्दिष्ट मामलों की संख्या के आधार पर पृथक-पृथक जिलों/तहसीलों में आवश्यकतानुसार जिला प्राधिकरण द्वारा लोक अदालतों की अधिक खण्डपीठों का गठन किया जा सकता है प्रत्येक खण्डपीठ में

निम्नलिखित में से एक या दो सदस्य होंगे, अर्थात्

(क) जिला मुख्यालय अथवा तहसील में कार्यरत न्यायिक अधिकारी,

(ख) विधि व्यवसाय का सदस्य जिसे कम से कम 07 वर्ष का अनुभव हो,

(ग) प्रतिष्ठित (स्थानीय) सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है।

टिप्पणी :– यदि उपखण्ड 'ख' या 'ग' उल्लिखित व्यक्तियों में से उपयुक्त सदस्य आसानी से उपलब्ध न हों तो केवल न्यायिक अधिकारी द्वारा ही लोक अदालत का गठन किया जा सकता है।

17.7 जिला मुख्यालय या तहसील मुख्यालय में लोक अदालत या साक्षारता शिविर के आयोजन पर किए जाने वाले व्यय की सीमा वही होगी जो नियम 17.5 के अधीन विहित है।

17.8 राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा अधिनियम के अधीन पात्र व्यक्तियों को सक्रिय विधिक परामर्श और सहायता प्रदान करने तथा लोक अदालत को निर्दिष्ट किए जाने के लिए मामलों की जांच के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय में समझौता/केन्द्र/केन्द्रों का गठन किया जाएगा। जिला मुख्यालय में ऐसे समझौता केन्द्र का प्रधान जिला प्राधिकरण का और तहसील मुख्यालय में तहसील समिति का अध्यक्ष होगा। समिति में निम्नलिखित में से एक या दो सदस्य होंगे।

(एक) विधि व्यवसाय का सदस्य जिसे कम से कम 10 वर्श का अनुभव हो,

(दो) प्रतिष्ठित स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के दुर्बल वर्गो के उत्थान का कार्य कर रहा है।

यदि जिले/तहसील में एक से अधिक केन्द्रों का सृजन किया गया है तो उनकी व्यवस्था ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिसे कम से कम 10 वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव हो।

17.9 राज्य स्तरीय समझौता केन्द्र

कार्यकारी अध्यक्ष स्वविवेकानुसार विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अधिनियम के अधीन सक्रिय विधिक सहायता के पात्र व्यक्तियों को ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर एक या एक से अधिक समझौता केन्द्रों का गठन करेंगे, ताकि अधिनियम के उद्देश्यों को पूर्णतया प्राप्त किया जा सके। यदि एक से अधिक ऐसे केन्द्रों का गठन किया जाता है तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव या कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति तहसील स्तर के ऐसे केन्द्रों को प्रधान होगा। प्रत्येक ऐसे केन्द्रों में कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा सहायतार्थ निम्नलिखित एक या दो सदस्यों को भी मनोनीत किया जा सकेगा, अर्थात् :

(एक) विधि व्यवसाय का सदस्य जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो,

(दो) प्रतिष्ठित स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के दुर्बल वर्गो के उत्थान के लिए कार्य कर रहा हो।

यदि एक से अधिक ऐसे केन्द्र सृजित किए जाते हैं तो विधि व्यवसाय के ऐसे सदस्य को ऐसे केन्द्र में प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

17.10 समझौता केन्द्र/केन्द्रों में प्रतिनियुक्ति व्यक्ति को मानदेय का भुगतान

केन्द्रीय प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार से निधियां उपलब्ध होने पर कार्यकारी अध्यक्ष, यथास्थिति, केन्द्रीय अथवा राज्य प्राधिकरण के परामर्श से उच्च न्यायालय, राज्य या जिला/तहसील स्तर पर यथास्थिति, गठित ऐसे समझौता केन्द्र में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को मानदेय के भुगतान हेतु उतनी राशि नियत करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जो वह उचित और आवश्यक समझें।

17.11 सूचीबद्ध (पैनल) वकीलों की फीस का भुगतान

राज्य प्राधिकरण मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य अथवा जिला प्राधिकरण के विनिश्चय के अनुसार निर्धनों को विधिक परामर्श और सहायता प्रदान करने वाले सूचीबद्ध वकीलों को दी जाने वाली फीस की मात्रा नियत करेंगे। राज्य

प्राधिकरण द्वारा अपनायी गई तत्समय प्रवृत्त ऐसी भुगतान दरें परिशिष्ट 'घ' में दी गई है। तथापि ऐसे भुगतान में राज्य प्राधिकरण द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से वृद्धि की जा सकती है जैसा उचित और आवश्यक समझी जाए।

18. स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष की नियुक्ति, सेवाशर्तें, वेतन और भत्ते

(क) ऐसा व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश है या रहा है या जिसने जिला न्यायाधीश के समतुल्य न्यायिक पद धारण किया हो, स्थाई लोक अदालत का अध्यक्ष होगा।

(ख) राज्य प्राधिकरण की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति की जाएगी जिसकी पदावधि अधिक से अधिक पांच वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें जो भी पहले हो, होगी।

(ग) यदि कोई सेवारत न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष, नियुक्त किया जाता है तो वह उस वेतन और भत्तों तथा समस्त अन्य अनुलाभों का हकदार होगा जो उसे सेवारत अधिकारी के रूप में अनुमन्य थें, लेकिन जब कोई सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो वह उस वेतन और भत्तों तथा समस्त अन्य अनुलाभों का हकदार होगा जो उसके द्वारा सेवारत न्यायिक अधिकारी के रूप में अन्तिम बार आहरित किए गए जिसमें से ऐसे न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्त पर नियत पेंशन राशि घटा दी जाएगी।

19. स्थाई लोक अदालत के अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति, बैठक फीस अन्य भत्ते

(क) राज्य प्राधिकरण की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक सुविधा सेवा के पर्याप्त अनुभवी दो अन्य सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा।

(ख) उनकी पदावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे राज्य प्राधिकरण की संस्तुति पर सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ग) ऐसे सदस्य 500/रू0 प्रति बैठक की दर से बैठक फीस के हकदार होंगे।

(घ) अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति सरकारी दौरे पर ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुमन्य हैं।

(ड) स्थाई लोक अदालत की बैठक में उपस्थित रहने के लिए ऐसा अन्य व्यक्ति 2500/रू0 प्रतिमाह यात्रा भत्ते का हकदार होगा।

(च) नियुक्ति से पहले अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति को वचन देना होगा कि उसका ऐसा कोई वित्तीय अथवा अन्य हितलाभ नहीं है और न होगा जिससे अध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्ति के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(छ) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष अथवा अन्य व्यक्ति

(क) यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण को सम्बोधित लिखित त्याग पत्र द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं।

(ख) उन्हें नियम 20 के उपबन्धों के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।

(ज) यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों के निवर्हन में असमर्थ हो तो उनके द्वारा अपने कृत्यों का प्रभार पुनः ग्रहण करने के दिनांक तक तत्समय पदधारण करने वाला ज्येष्ठतम (नियुक्ति के क्रम में) व्यक्ति अध्यक्ष के कृत्यों का निवर्हन करेगा।

(झ) अध्यक्ष अथवा कोई अन्य व्यक्ति पद त्यागने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक ऐसे संगठन में नियुक्त नहीं होगा अथवा उसके प्रबन्धन या प्रशासन से सम्बन्धित नहीं होगा जिस पर उसकी पदावधि में अधिनियम के अधीन कार्यवाही चल रही है।

20. त्याग पत्र और पद से हटाया जाना

राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा, यथास्थिति, स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति को पद से हटाया जा सकेगा यदि वह :–

(क) निर्णीत दिवालिया हो, या

(ख) ऐसे अपराध का सिद्ध दोषी है जिसमें प्राधिकरण के विचार से नैतिक अधमता शामित है, या

(ग) अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है, या

(घ) ऐसा वित्तीय अथवा अन्य हितलाभ प्राप्त कर लिया है जिसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या

(ड) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल होगा।

परन्तु, अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य को नियम 21 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के सिवाय खण्ड (घ) और (ड) में विनिर्दिष्ट कारणों के आधार पर पद से हटाया नही जाएगा।

21. जांच प्रक्रिया

(1) यदि, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण, की राय में किसी आरोप की नियम 5 के खण्ड (घ) और (ड) के अधीन जांच की जानी अपेक्षित है तो वह अभियुक्त के विरूद्ध जांच कर सकेगा और आरोप का सारांश तैयार करेगा या करवायेगा जिसमें संगत तथ्यों का विवरण और दस्तावेजों तथा साक्ष्यों की सूची होगी।

(2) राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, अभियुक्त को आरोप और दस्तावेजों तथा साक्ष्यों की सूची की एक प्रति देगा या दिलवायेगा तथा उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे समय के अन्दर, जिसकी अनुमति दी जाए, अपने बचाव में लिखित उत्तर अथवा विवरण प्रस्तुत करें।

(3) यदि अभियुक्त द्वारा आरोप स्वीकार कर लिए जाते है तो यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा अभियुक्त को पद से हटा दिया जाएगा और कारण अभिलिखित किए जाएंगे।

(4) यदि अभियुक्त आरोपों को स्वीकार करने से इन्कार करता है तो राज्य प्राधिकरण अथवा जनपद प्राधिकरण द्वारा, यथास्थिति, आरोंपों की सत्यता की जांच करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है और उसके द्वारा राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, की ओर से जांच अधिकारी के समक्ष मामला प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकेगा।

(5) जांच अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को अपना मामला ऐसे समय के अन्दर प्रस्तुत करने का अवसर देगा जिसकी उसके (जांच अधिकारी) द्वारा समय–समय पर अनुमति दी जाए। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् जांच अधिकारी अभियुक्त को ऐसे समय के अन्दर जिसकी अनुमति दी जाए, आरोपों के बचाव में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

(6) जांच अधिकारी का गवाहों को बुलाने और उनके बयान दर्ज करने या शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने या दस्तावेज या अन्य संगत अभिलेख, जो जांच के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने की मांग करने की शक्ति होगी।

(7) जांच अधिकारी छः महीने की अवधि या ऐसे समय के अन्दर जो, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया जाए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, का समाधान हो जाता है कि आरोप जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सिद्ध हो गए हैं तो वह अपचारी अध्यक्ष अथवा सदस्य को, जैसी भी स्थिति हो, उनके पद से हटा देगा।

22. **बैठकों का स्थान**

(1) स्थाई लोक अदालत की बैठक उस स्थान पर होगी जो राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, द्वारा विनिदिष्ट किया जाए।

(2) स्थाई लोक अदालत के कार्य दिवस और कार्य समय वही होगा जो राज्य सरकार का होगा।

(3) स्थाई लोक अदालत की बैठक जब कभी भी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

23. **स्थाई लोक अदालत के कर्मचारी**

राज्य सरकार द्वारा स्थाई लोक अदालत को अपने दैनिक कार्यो और इस अधिनियम और इन नियमों द्वारा प्रदान किए गए ऐसे अन्य कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए जो उसे अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए है, उतने कर्मचारी प्रदान किए जाएंगे जो आवश्यक हों। ऐसे कर्मचारियों का वेतन, राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा।

24. **निरसन एवं व्यावृत्ति**

(1) उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली–2006 के प्रवृत्त होने पर, उत्तरांचल राज्य में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली– 1996 का प्रभाव निरिसित हो जायेगा।

(2) ऐसे निरिसन के होते हुए भी, उपरोक्त नियमावली के प्रभावी होने से पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली– 1996 के अन्तर्गत किये गये समस्त कार्य एवम् कार्यवाही सुरक्षित रहेगी।

परिशिष्ट ''क''

{नियम 7 (2) और 8 (2) देखिये}

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	सदस्य सचिव	1	उत्तरांचल उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को अनुमन्य सेलेक्शन वेतनमान
2.	विशेष कार्य अधिकारी	1	सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को अनुमन्य वेतनमान
3.	निजी सचिव	1	रू. 6500–10200रू.
4.	निजी सहायक	2	5500–9000रू.
5.	आशुलिपिक	2	4000–6000रू.
6.	प्रशसनिक अधिकारी	1	5500–9000रू.
7.	प्रवर वर्ग सहायक	2	4500–7000रू.
8.	लेखा लिपिक	1	4000–6000रू.
9.	टंकक	2	3050–4590रू.
10.	कनिष्ठ लिपिक	2	3050–4590रू.
11.	पुस्तकालय लिपिक	1	3050–4590रू.
12.	अर्दली/चपरासी	6	2550–3200रू.
13.	दतरी /मशीन आपरेटर	1	2610–3550रू.
14.	ड्राइवर	3	3050–4590रू.
15.	स्वीपर सह फर्राश	1	2,000 रूपये प्रति माह (फिकस्ड)

परिशिष्ट ''ख''

{नियम 10(2) और 10(5) देखिये}

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	लिपिक	2	3050–4590 रू.
2.	अर्दली रू.	2	2550–3200 रु.

परिशिष्ट ''ग''

{नियम 12(2) और 13(2) देखिये}

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1.	लिपिक	13	3050–4590 रू.
2.	चपरासी	13	2550–3200 रु.

परिशिष्ट ''घ''

{नियम 17(11) देखिये

पब्लिक सर्विस ट्रिब्युनल

1.	ट्रिब्युनल के समक्ष कार्यवाही करने के लिए	–	प्रथम तीन दिन के लिये रू० 150/– तत्पश्चात् रू० 100/– प्रतिदित अधिकतम रू० 1500/–
2.	विधिक परामर्श	–	रू० 250/– प्रति वाद।
3.	ड्राफिटंग एण्ड प्लीडिंग जिसमें रिज्वाइन्डर व शपथ–पत्र शामिल है	–	रू० 500/– मय परामर्श।

श्रम न्यायालयों के लिए

1.	ड्राफिटंग/प्लीडिंग जिसमें विधिक सलाह शामिल है।	–	रू० 250/–

मजिस्ट्रेट न्यायालय में

जमानत प्रार्थना–पत्र :

1.	जमानत प्रार्थना–पत्र (जमानती)	–	रू० 100/– प्रति प्रार्थना–पत्र।
2.	जमानत प्रार्थना–पत्र (बिना जमानती)	–	रू० 300/– प्रति प्रार्थना–पत्र।
3.	प्रकीर्ण प्रार्थना–पत्र	–	रू० 250/– प्रति प्रार्थना–पत्र।
4.	पंचायत के विरूद्ध अपील/रिवीजन	–	रू० 300/– प्रति अपील/रिवीजन।
5.	सिविल वाद में विधिक सलाह	–	रू० 250/– प्रति वाद।
6.	फौजदारी वाद में विधिक सलाह	–	रू० 250/– प्रति वाद।

राजस्व वादों में जिनमें चकबन्दी वाद भी शामिल है।

1.	उच्च न्यायालय	–	रू० 2500/–
2.	बोर्ड ऑफ रेवेन्यु	–	रू० 1500/– प्रति वाद।
3.	कमिश्नर/एडिशनल कमिश्नर/ डी.डी.सी./ज्वाइन्ट डाइरेक्टर	–	रू० 1000/– प्रति वाद।
4.	सहायक कलेक्टर/एस.ओ.सी/ अतिरिक्त कलेक्टर	–	रू० 750/– प्रति वाद।
5.	तहसीलदार/सी.ओ/ए.सी.ओ	–	रू० 500/– प्रति वाद।
6.	राजस्व मामलों में विधिक सलाह	–	रू० 300/– प्रति वाद।

सत्र न्यायालय में

1.	सत्र विचारण	–	रू० 200/– प्रतिदिन तीन दिन के लिए और अधिकतम पूर्ण केस के लिए रू0 2000/–
2.	प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध क्रिमिनल अपील	–	रू० 1000/– प्रति अपील।
3.	द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध क्रिमिनल अपील	–	रू० 500/– प्रति अपील।
4.	क्रिमिनल रिवीजन	–	रू० 1000/– प्रति रिवीजन।
5.	जमानत प्रार्थना–पत्र	–	रू० 500/– प्रति प्रार्थना–पत्र।

न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग/ सिविल जज कनिष्ठ प्रभाग

1.	मूल वाद	–	रू० 1000/प्रति वाद।
2.	वारण्ट केस विचारण	–	रू० 1000/– प्रति वाद।
3.	समन केसेज	–	रू० 500/– प्रति वाद।
4.	सत्र न्यायालय में कमिटल जिसमें रिमाण्ड कार्यवाही शामिल है।	–	रू० 250/– प्रति वाद।

जिला एवं सत्र न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/परिवार न्यायालय

1.	दिवानी वाद में परामर्श	–	रू० 300/– प्रति वाद।
2.	फौजदारी वाद में परामर्श	–	रू० 300/– प्रति वाद।
3.	ड्राफिटंग ऑफ सिविल प्लीडिंग	–	रू० 500/– प्रति वाद।
4.	ड्राफिटंग ऑफ क्रिमिनल कम्प्लेन्ट	–	रू० 500/– प्रति वाद।
5.	वैवाहिक/रेन्ट केसेज	–	रू० 1500/– प्रति वाद।
6.	सिविल अपील	–	रू० 1500/– प्रति वाद।
7.	एकपक्षीय/वाद वापस लेने/संधि के अनुसार निर्णित	–	रू० 500/– प्रति वाद।

8.	सिविल रिवीजन	–	रू० 750/– प्रति रिवीजन।
9.	क्रिमिनल अपील	–	रू० 750/– प्रति अपील।
10.	दिवालिया/उत्तराधिकारी प्रार्थना पत्र	–	रू० 750/– प्रति प्रार्थना–पत्र।

मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद

1.	मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद (घायल होने पर)	–	रू० 1000/– प्रति वाद।
2.	मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद (मृत्यु होने पर)	–	रू० 1000/– प्रति वाद।

मा० उच्च न्यायालय

1.	रिट पिटीशन	–	अधिकतम रू० 4000/– प्रति केस हाई कोर्ट स्तर पर केस के निस्तारण के बाद अन्य आनुशंगिक व्यय को छोड़कर।
2.	हेबियस कारपस पिटीशन	–	रू० 2500/– प्रति पिटिषन।
3.	प्रथम सिविल अपील	–	रू० 3000/– प्रति अपील।
4.	सिविल रिवीजन	–	रू० 750/– प्रति रिवीजन।
5.	क्रिमिनल अपील	–	रू० 2000/– प्रति अपील।
6.	क्रिमिनल रिवीजन	–	रू० 750/– प्रति रिवीजन।
7.	जमानत प्रार्थना–पत्र	–	रू० 1500/– प्रति जमानत प्रार्थना पत्र।
8.	सिविल वाद में लिखित सलाह	–	रू० 750/– प्रति परामर्श।
9.	शपथ–पत्र व प्रकीर्ण प्रार्थना–पत्र तैयार करने के लिए	–	रू० 750/– प्रति ड्राफ्ट।

प्रकीर्ण

1.	निष्पादन वाद	–	रू० 1000/– प्रति वाद।
2.	जेल मीटिंग	–	रू० 250/–

आज्ञा से
श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव, न्याय